



Neutral Citation No. - 2026:AHC:44255

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7733/2026

रमा शंकर

----- याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संदीप कुमार पाण्डेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करती है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मुख्य राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय अधिकारी (न्यायिक), तहसील-भदोही, जिला भदोही को यह निर्देश दिया जाए कि वे यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 116 के तहत दायर विभाजन वाद संख्या T202516670506610 (रमा शंकर बनाम निर्मला) का शीघ्रता से निपटारा करें।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष काफी लंबे समय से लंबित है, और काफी समय बीत चुका है; परंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, यह याचिका इस निर्देश के साथ निपटा दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-विभागीय अधिकारी (न्यायिक), तहसील-भदोही, जिला भदोही, उपर्युक्त वाद का निर्णय कानून के अनुसार, अत्यंत शीघ्रता से और अधिमानतः प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर करें; परंतु, जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, तब तक अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने इस मामले का निर्णय इसके गुण-दोष के आधार पर नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।